

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (112) वन/2024

जयपुर, दिनांक:-

कार्यानुमति आदेश

Diversion of 5.3868 ha of forest land for Construction of Transmission Line Package TL01 & TL02 of Beawar -Dausa 765kV D/C Line -Part I & Part II associated with transmission system for evacuation of power from REZ in Rajasthan (20GW) under Phase-III-Part H through tariff based competitive bidding (TBCB) Route, Pali Territorial Division, Ajmer Territorial Division (Proposal No. - FP/RJ/TRANS/468272/2024) के संबंध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 07.02.2025 के अनुसरण में प्रयोक्ता अभिकरण (Sr. DGM Powergrid Beawar Dausa Transmission Limited) के पत्र 622 दिनांक 12.04.2025 के निवेदनानुसार, कार्य करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है -

1. प्रयोक्ता अभिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 07.02.2025 की बिन्दुवार अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. यह कार्यानुमति वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत एक वर्ष हेतु वैध है।
3. यह कार्यानुमति वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अध्याय 11 के नियम 11.1 के प्रावधानों एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10.09.2024 के तहत रहेगी जिसमें अंकित निर्देशो...**the State Government can pass an order for tree cutting and commencement of work not involving black topping, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or as specified in the 'in-principle' approval granted to a linear project in forest land for a period of one-year** की पालना भी सुनिश्चित की जावे।
4. संबंधित उप वनसंरक्षक के पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित किया जायेगा।

आज्ञा से

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in letter/diversion/ajayflooder/

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. उप वन संरक्षक, पाली/अजमेर।
6. संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण ।
7. रक्षित पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव, वन